न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/494

बाबूलाल वर्मा दत्तक पुत्र श्री लक्ष्मण जी लश्करी चमार निवासी महावीर नगर प्रथम कोटा।
———अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्री पुत्री लक्ष्मण जी पत्नी श्री मिश्री लाल लश्करी निवीस प्रेम नगर डी.सी.एम. के पास तहसील, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. छीतर लाल वर्मा पुत्र श्री नाथू लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. कन्नू बाई बेवा छीतर लाल ।
   2/2. रामेश्वर पुत्र छीतर लाल निवासी लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/3. प्रेम बाई पुत्री छीतर लाल पत्नी परमशंकर जी निवीस सरकारी स्कूल के पास सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/4. विमला बाई पुत्री छीतर लाल पत्नी बलराम जी निवासी दिशा डेल्फी स्कूल के पास, आर0के0 पुरम कोटा ।
3. चौथमल वर्मा पुत्र औंकार जी लश्करी ।
4. पप्पू पुत्री मोती लाल लश्करी ।
5. कालू लाल पुत्री मोती लाल ।
6. राजेश पुत्र मोती लाल
7. राम कल्याण पुत्र चतरी बाई लश्करी निवासी लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।
9. रेखा पुत्री बाबूलाल माता लक्ष्मी बाई ।
10. प्रिया पुत्री बाबूलाल माता लक्ष्मी बाई ।
11. नीरू पुत्री बाबूलाल माता लक्ष्मी बाई ।
12. राजकुमार पुत्र बाबू लाल माता लक्ष्मी बाई निवासी बृजराज कॉलोनी सिविल लाईन नयापुरा कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/572

बाबूलाल वर्मा दत्तक पुत्र श्री लक्ष्मण जी लश्करी चमार निवासी महावीर नगर प्रथम कोटा।
———अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्री पुत्री लक्ष्मण जी पत्नी श्री मिश्री लाल लश्करी निवीस प्रेम नगर डी.सी.एम. के पास तहसील, लाडपुरा जिला कोटा ।

2. छीतर लाल वर्मा पुत्र श्री नाथू लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. कन्नू बाई बेवा छीतर लाल ।
   2/2. रामेश्वर पुत्र छीतर लाल निवासी लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/3. प्रेम बाई पुत्री छीतर लाल पत्नी परमशंकर जी निवीस सरकारी स्कूल के पास सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   2/4. विमला बाई पुत्री छीतर लाल पत्नी बलराम जी निवासी दिशा डेल्फी स्कूल के पास, आर0के0 पुरम कोटा ।
3. चौथमल वर्मा पुत्र औंकार जी लश्करी ।
4. पप्पू पुत्री मोती लाल लश्करी ।
5. कालू लाल पुत्री मोती लाल ।
6. राजेश पुत्र मोती लाल
7. राम कल्याण पुत्र चतरी बाई लश्करी निवासी लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ।
9. रेखा पुत्री बाबूलाल माता लक्ष्मी बाई ।
10. प्रिया पुत्री बाबूलाल माता लक्ष्मी बाई ।
11. नीरू पुत्री बाबूलाल माता लक्ष्मी बाई ।
12. राजकुमार पुत्र बाबू लाल माता लक्ष्मी बाई निवासी बृजराज कॉलोनी सिविल लाईन नयापुरा कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 7 की ओर से अपील संख्या 17/494 में ।
3. श्री दीनदयाला सोनी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 9 से 12 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. अपील संख्या 17/494 के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामचन्द्री ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 141/14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड शुद्धि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाडपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 43 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 1.15 हैक्टर खसरा नम्बर 232 रकबा 4.68 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 7 की सयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी सम्पत्ति है । उक्त भूमि में वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी में बाबू लाल का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि बाबूलाल, नाथूलाल का बेटा है उसको वादिनी के पिता लक्ष्मण ने कभी

गोद नहीं लिया परन्तु प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल ने लक्ष्मण जी के मरने के बाद वादिनी के साथ छल कर वादिनी को झांसा देकर कि वह वादिनी एवं चतरी बाई की जमीन की देखरेख कर उनकी तरफ से खेली बाडी करायेगा । वादिनी ने प्रतिवादी कम 1 से उक्त भूमि में अपने आधे हिस्से की फसल का हिसाब मांगा तो प्रतिवादी कब्जा संभलाने का आश्वासन दिया । प्रतिवादी कम 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि लक्ष्मण जी का मुतवन्ना पुत्र बनकर अपने नाम इंतकाल खुलवा लिया जबकि उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 का कोई अधिकार व स्वत्व नहीं है। वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल कर कब्जा वापस प्राप्त करे ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से का खातेदार वादिनी को घोषित किया जावे । प्रतिवादी कम 8 को आदेश दिया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित भू–अभिलेख में प्रतिवादी कम 1 का नाम हटाकर उसके स्थान पर वादिनी का नाम खातेदार के रूप में अंकित करे । वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल किया जाकर उसका कब्जा वादिनी को दिया जावे । प्रतिवादी कम 1 ने वादिनी के साथ छल कर उसके हिस्से की भूमि को प्राप्त किया तब से लेकर अब तक वाद प्रस्तुत करने की तिथि तक प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादिनी के हिस्से की जो उपज प्राप्त की गई है उसकी एवज में उसका मूल्य प्रतिवादी कम 1 से वादिनी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादिनी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे और उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. इसी प्रकार वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद संख्या 23/14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड शुद्धि एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर वादिनी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.06.2017 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपीलान्ट ने अपील संख्या 17/572 में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बिना अधिकार के होने से शून्य है तथा शून्य आदेश की अपील करना आवश्यक नहीं है । इस पर भी अपीलान्ट ने दोनों वादों की एक अपील पेश कर दी थी क्योंकि वाद कन्सोलिडेट कर एक निर्णय किया गया था किन्तु पत्रावली अलग–अलग होने से अपीलान्ट ने दूसरी नकल दिनांक 01.11.2017 को प्राप्त कर यह दूसरी अपील पेश की है । अपीलान्ट ने एक अपील सहवन कानूनी सलाह से पेश की थी । अतः इस अपील को पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 17/572 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी बिना पक्षकारों को सूचित किये एवं बिना सहमति लिये मेरिट पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि–विरूद्ध है । तनकीयात कायम होने के पश्चात् दूसरे पक्ष की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दत्तक पुत्र नहीं माना है जबकि अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा संख्या 141/14 एवं 24/14 दोनों को कन्सोलिडेट किया गया परन्तु दानों दावे अलग–अलग होने के कारण दो अपीलें पेश की गई हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 व 7 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट दत्तक पुत्र नहीं है उनका इस आराजी में कोई अधिकार एवं हिस्सा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 09 से 12 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट दत्तक पुत्र नहीं था और दत्तक का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । अधीनस्थ का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 17/572 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अपील संख्या 17/494 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस में प्रकरण लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी स्वीकार किया गया है ।

14. इसी प्रकार अपील संख्या 17/572 से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली साक्ष्य में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया, लोक अदालत में इस पत्रावली को संख्या 141/14 के साथ कन्सोलिडेट किया जाना अंकित करते हुए निर्णित किया पत्रावली में तनकीयात कायम की गई थीं जो पृष्ठ संख्या 05 पर संलग्न है । अर्ध

न्यायालय के द्वारा दोनों ही प्रकरणों को लोक अदालत रखते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है कि जिसमें समस्त पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें अन्यथा इसके अभाव में प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/494 एवं अपील संख्या 17/572 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा